



न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं० 33/2018

श्री हरीराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर
बनाम

1. निशांत पुत्र श्री राजपाल नागपाल
2. मै० वरुण इंडस्ट्रीज, एफ-357 A&B TIIVO Phase II, श्रीगंगानगर

अभियुक्त

अपराध अ० धारा 26 उपधारा 2(II)खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय


दिनांक : 27.04.2018

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 27.10.2016 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार श्री विनोद कुमार शर्मा को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 22.05.2017 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्यक्षेत्र में बताये हैं।

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 07.06.2017 को दोपहर 01.00 ए.एम. पर फर्म मै० वरुण इंडस्ट्रीज एवं उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया और परिचय लिया। वहां फर्म निशांत पुत्र श्री राजपाल , मै० वरुण इंडस्ट्रीज, एफ-357 A&B TIIVO Phase II, श्रीगंगानगर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से मौजूद थे एवं आम जनता को Packaged Drinking Water [Aonefina] विक्रय कर रहे थे।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ कुल्फी के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की , 16 सिल्ड प्लास्टिक की बोतले खाद्य नमूना के लिए खरीद की, Packaged Drinking Water [Aonefina] की कीमत 72/- रु अदा की एवं खरीदी रसीद तैयार की, तथा उपस्थित गवाहान श्री राजेश कुमार एवं श्री मनीष नायक के हस्ताक्षर करवाये। फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं 05 की एक प्रति खाद्य




मति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहों को चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की बोतलें दिखाई, लेबल पर कोड एवं सीरियल नम्बर, दिनांक, स्थान खाद्य पदार्थ का नाम अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् खरीदशुदा कुल्फी को चारो नमूना प्लास्टिक बोतलों में बराबर-बराबर भरा, प्रत्येक नमूना बोतलों पर एक एक लेबल गोंद से चिपकाया चारो नमूना बोतलों को कोर्क से एयरटाईट बंद किया चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप कै-795 को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य विक्रेता श्री निशान्त ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, जयपुर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक:-एलएस/1329/एक्ट/2017/1396 दिनांक 22.06.2017 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना कै-795 Packaged Drinking Water [Aonefina] अमानक स्तर (Misbranded Food) होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त निशांत पुत्र श्री राजपाल नागपाल निवासी 76, पी-ब्लॉक, श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर Packaged Drinking Water [Aonefina] का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 26.03.2018 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस Packaged Drinking Water [Aonefina] का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार (Misbranded Food) पाया गया है। प्रार्थी फर्म को जारी नोटिस अनुसार वह कमीयां प्रार्थी फर्म द्वारा दुरुस्ती लायक थी जो प्रार्थी फर्म ने दुरुस्त करवा ली है। इस वक्त कोई भी कमी फर्म मैसर्स वरुण इंडस्ट्रीज, एफ-357 A&B THIVO Phase II, श्रीगंगानगर में नहीं है। अत प्रार्थी को क्षमा प्रदान करें। अभियुक्त को कम से कम जुर्माना लगाकर प्रकरण समाप्त करने का निवेदन किया।



अति.जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया Packaged Drinking Water [Aonefina] का सैम्पल के-795 जांच रिपोर्ट क्रमांक:-एलएस/1329/एक्ट/2017/1396 दिनांक 22.06.2017 द्वारा (Misbranded Food) होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार बिन्दु संख्या 04- Packaged Drinking Water [Aonefina] = 110.0 mg/1 % पाया गया जबकि Not More than 500.00 Mg/1 होना चाहिए था। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) उल्लंघन तथा धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध साबित होता है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस Packaged Drinking Water [Aonefina] का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार (Misbranded Food) पाया गया है। प्रार्थी फर्म को जारी नोटिस अनुसार वह कमीयां प्रार्थी फर्म द्वारा दुरुस्ती लायक थी जो प्रार्थी फर्म ने दुरुस्त करवा ली है। इस वक्त कोई भी कमी फर्म मैसर्स वरुण इंडस्ट्रीज, एफ-357 A&B TIIVO Phase II, श्रीगंगानगर में नहीं है। अतः प्रार्थी को क्षमा प्रदान करें। अभियुक्त को कम से कम जुर्माना लगाकर प्रकरण समाप्त करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of " Packaged Drinking Water [Aonefina]" bearing Code No. and Sr. No. K-795 of Designated Officer cum The Chief Medical & Health Officer, Sriganaganagar is Misbranded Food Under Section 3[1][zf] [c][i] of FSS Act ,2006 it is Contravene Regulation 2.2.2.[10] of FSS [Packaging and Labelling] Regulation 2011 जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त को एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 के तहत जुर्माने से दण्डित किये जाने के अन्तर्गत राशि रूपये 2500-00 (अखरे रूपये दो हजार पांच सौ मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में Packaged Drinking Water [Aonefina] के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2018को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नखतदान बारहठ)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर